सं0–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024-6427

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

–:: संकल्प ::–

विषयः– **राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता / स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु रू0 10,25,00,000/– (दस करोड़ पच्चीस लाख) की राशि के व्यय की स्वीकृति।**

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के युवा / युवतियों बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने / स्व–रोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य के दिव्यांग युवा एवं युवतियों का इन योजनाओं के प्रति अभिरूचि एवं मांग को देखते हुए दिव्यांग वर्ग में उद्यमिता एवं स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पृथक रूप में दिव्यांगजनों हेतु उद्यमी योजना प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त के आलोक में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना के नामकरण, पात्रता, कार्यान्वयन एजेंसी आदि में संशोधन करते हुए राज्य में उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) अंतर्गत **"मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना"** के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमानित 100 पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने एवं इसके निमित रू0 10,25,00,000/– (दस करोड़ पच्चीस लाख) का व्यय किये जाने का लक्ष्य है। बाद के वर्षो में लाभुकों की संख्यात्मक अधिसीमा नहीं होगी तथा माँग के आलोक में दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

4. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का कियान्वयन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर उद्योग विभाग के द्वारा की जायेगी। इस हेतु प्रति उद्यमी निर्धारित राशि दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा उद्योग मित्र के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

5. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के 18–50 आयु वर्ग वाले पात्र दिव्यांगजनों जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, को लाभ प्रदान किया जायेगा। उद्योग विभाग द्वारा पूर्व से संचालित अन्य उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके किसी भी लाभार्थी को लाभ प्रदान नहीं किया

जायेगा। इसी प्रकार इस योजना से लाभान्वित दिव्यांगजनों को उद्योग विभाग द्वारा पूर्व से संचालित सदृश्य उद्यमी योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत आवेदकों को 50:50 के ऋण एवं अनुदान के रूप में परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु० 10,00,000/– (दस लाख) प्रदान की जायेगी तथा अंतिम किश्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली उद्योग मित्र द्वारा 84 समान किश्तों में की जायेगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000/– (पचीस हजार) के दर से व्यय किया जायेगा।

7. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के क्रियान्वयन/संचालन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देश अलग से समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी।

8. इस योजना अन्तर्गत प्रस्तावित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में **सामान्य घटकः**– मुख्य शीर्ष 2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष– 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष–0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विपत्र कोड 51–2235021010119 तथा **विशेष घटकः**– मुख्य शीर्ष 2235 –सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष 02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विपत्र कोड 51–2235027890111 अन्तर्गत विकलनीय होगा तथा आवश्यकतानुसार राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर संचिका सं0– **01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024** के टिप्पणी पृ0–**25/टि0** पर दिनांक–**26.08.2025** को **मद संख्या–17** में मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

11. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/8/2025

(बंदना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024 स.क. 6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/8/2025

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024 स.क. 6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/2025
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024 स.क. 6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय / निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय / सचिव, समाज क्ल्याण विभाग के आप्त सचिव / वित्त विभाग (बजट शाखा) / संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/2025
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024 स.क. 6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम / प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/2025
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024 स.क. 6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/2025
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024 स.क.–6427 पटना. दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/2025
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।